समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डीसीपीडब्ल्य्)

भूमि व भवन अनुभाग

'डीसीपीडब्ल्यू प्रतिष्ठानों के लिए भूमि और भवन परिसम्पत्तियों का प्रबंधन"

आधारभूत क्रियाकलाप.

- ।. डीसीपीडब्ल्यू प्रतिष्ठानों के लिए भूमि अधिग्रहण।
- ॥. सीमा चारिदवारी, अंदरूनी सड़क, नए कार्यालय एवं आवासीय भवनों और अन्य सहायक सुविधाओं का निर्माण करके अधिग्रहित भूमि का विकास।
- शा. सीपीडब्ल्यूडी/एसपीडब्ल्यूडी (सिविल, इलेक्ट्रीकल, होर्टिकल्चर कार्यों) के माध्यम से डीसीपीडब्ल्यू प्रतिष्ठानों के कार्यालय और आवासीय भवनों की मरम्मत/नवीनीकरण/रखरखाव।
- । पूरे भारत में डीसीपीडब्ल्यू प्रतिष्ठानों का प्राकृतिक आपदाओं के कारण भवनों को हुए न्कसान की आपातकालीन मरम्मत।
- V. डीसीपीडब्ल्यू प्रतिष्ठानों के लिए निजी भवनों को किराए पर लेना।
- VI. पूरे देश में डीसीपीडब्ल्यू के 36 चालू प्रतिष्ठान हैं। इन 36 में से, 6 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा दिए गए आवास में चल रहे हैं, 2 जीपीएओ में, 2 निजी इमारतों में और बाकी प्रतिष्ठान अपनी इमारतों में चल रहे हैं।
- VII. 04 अतिरिक्त प्रतिष्ठानों को अनुमोदित किया गया है और ये परिचालनाधीन हैं तथा 1 अतिरिक्त प्रतिष्ठान अनुमोदन के लिए विचाराधीन है।
- VIII. डीसीपीडब्ल्यू प्रतिष्ठानों की सूची निम्नलिखित है :-

उत्तरी क्षेत्र.

- 1. **समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डीसीपीडब्ल्यू) मुख्यालय**, ब्लॉक संख्या. 9, के.स.का. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली ।
- 2. केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई), वंदे मातरम मार्ग, नई दिल्ली।
- 3. **पोलनेट हब**, समन्वय सदन, सिरि फोर्ट रोड, नई दिल्ली।
- 4. प्रसारण केन्द्र, हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली ।
- 5. अंतर राज्य प्लिस बेतार केन्द्र चंडीगढ़
- 6. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र लखनऊ
- 7. अंतर राज्य प्लिस बेतार केन्द्र शिमला
- 8. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र भोपाल
- 9. अंतर राज्य प्लिस बेतार केन्द्र जम्मु
- 10. अंतर राज्य प्लिस बेतार केन्द्र जयपुर
- 11. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र देहरादून
- 12. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र रायपुर
- 13. क्षेत्रीय पुलिस बेतार प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ (परिचालनाधीन है)

दक्षिणी क्षेत्र

- 1. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र बैंगलुरू
- 2. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र चैन्नई
- 3. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र पुदुच्चेरी
- 4. अंतर राज्य प्लिस बेतार केन्द्र हैदराबाद
- 5. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र त्रीवनंतपुरम
- 6. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र कवारती
- 7. अंतर राज्य प्लिस बेतार केन्द्र पोर्ट ब्लेयर
- 8. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र पणजी
- 9. अंतर राज्य प्लिस बेतार केन्द्र अमरावती परिचालनाधीन है।
- 10. क्षेत्रीय प्लिस बेतार प्रशिक्षण संस्थान, अमरावती परिचालनाधीन है।
- 11. क्षेत्रीय पुलिस बेतार प्रशिक्षण संस्थान, बैंगलुर अनुमोदन के लिए विचाराधीन है।

पूर्वी क्षेत्र

- 1. अंतर राज्य प्लिस बेतार केन्द्र कोलकाता
- 2. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र भुवनेश्वर
- 3. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र पटना
- 4. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र रांची
- 5. क्षेत्रीय पुलिस बेतार प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता परिचालनाधीन है।

 <u>पूर्वात्तर क्षेत्र</u>
- 1. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र दिसपुर
- 2. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र इम्फाल
- 3. अंतर राज्य प्लिस बेतार केन्द्र ईटानगर
- 4. अंतर राज्य प्लिस बेतार केन्द्र **आईजॉल**
- 5. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र गंगटोक
- 6. अंतर राज्य प्लिस बेतार केन्द्र अगरतला
- 7. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र शिलांग
- 8. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र **कोहिमा**

पश्चिमी क्षेत्र

- 1. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र दमन
- 2. अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र मुंबई
- 3. अंतर राज्य प्लिस बेतार केन्द्र गांधीनगर

संबद्ध क्रियाकलाप.

देखभाल प्रकोष्ठ (केयरटेकर सेल)

क. मुख्यालय से संबंधित

- दिल्ली में डीसीपीडब्ल्यू प्रतिष्ठानों के गृह प्रबंधन की देखरेख।
- फर्नीचर, वाटर प्यूरिफायर और वाटर कूलर की व्यवस्था/मरम्मत/रखरखाव।
- भूमि सम्पत्ति कर आदि का भुगतान।
- उपभोग्य इलेक्ट्रीकल वस्तुओं, सफाई के सामानों एवं अन्य विविध उपभोग्य वस्तुओं की व्यवस्था।
- ए.सी. की मरम्मत।
- साईन बोर्ड की व्यवस्था।
- मुख्यालय भवन को खोलना और बंद करना।
- रसोई भंडार के लिए वस्तुओं की व्यवस्था।

ख. आईएसपीडब्ल्यू से संबंधित

- आईएसपीडब्ल्यू केन्द्रों की गृह प्रबंधन से संबंधित कार्यकलाप।
- आईएसपीडब्ल्यू केन्द्रों पर फर्नीचर की व्यवस्था/मरम्मत/रखरखाव।
- आईएसपीडब्ल्यू केन्द्रों पर पानी, वाटर प्यूरीफायर, वाटर कूलर और अग्नि शामक यंत्रों की व्यवस्था/रखरखाव।
- आईएसपीडब्ल्यू केन्द्रों के भूमि सम्पत्ति कर आदि का भुगतान।
- आईएसपीडब्ल्यू केन्द्रों के लिए कार्यालय प्रयोग (पेपर और कार्टिज को छोड़कर) हेतु
 उपभोग्य वस्तुओं, सफाई के सामग्री, और उपभोग्य इलेक्ट्रीकल वस्तुओं की
 व्यवस्था।
- आईएसपीडब्ल्यू के लिए साइन बोर्डी की व्यवस्था।
- आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों पर विश्राम गृहों के लिए वस्त्ओं की व्यवस्था।